

२३९

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्र० क० निगरानी - एक/१७

निग० १५१९-१/१७

श्रीमती राजनी अशोक शर्मा
का द्वारा आज दिनांक
२९/५/१७ को प्रस्तुत

१-हजारीलाल सौर तनय गन्नू सौर
निवासी- ग्राम मोहनपुरा तहसील व
जिला टीकमगढ़ म०प्र०

---आवेदक

विरुद्ध

मध्यप्रदेश शासन

--- अनावेदक

१-नन्हे सौर तनय गनेश सौर
निवासी- ग्राम गुरार खिरक(कारी)
तहसील व जिला टीकमगढ़ म०प्र०

२-पूरन सौर तनय ललन्जू (कलन्जू)सौर
निवासी ग्राम कारी तहसील व जिला
टीकमगढ़ म०प्र०

---तरतीवी पक्षकार

२९/५/१७
२९-५-१७
५५१९-१/१७
५५-२०००-५१-१

न्यायालय, ग्वालियर

निगरानी अंतर्गत धारा ५० म०प्र० भू-राजस्व संहिता १९५९ विरुद्ध आदेश दिनांक
०२.०४.२०१६ पारित द्वारा कलेक्टर जिला टीकमगढ़ प्र०क० ०७/स्व०निग०/१५-१६
से परिवेदित होकर प्रस्तुत है ।

माननीय न्यायालय,

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-1519-एक/2017

जिला टीकमगढ़


हजारीलाल विरूद्ध नन्हें

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
10-01-2019	<p>1. प्रकरण प्रस्तुत ।</p> <p>2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्रीमती रजनी वशिष्ठ शर्मा उपस्थित । आवेदक के द्वारा कलेक्टर जिला टीकमगढ़ के प्रकरण क्रमांक 07/स्व.निग./2015-16 में पारित आदेश दिनांक 02-04-2016 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 29-05-2017 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी।</p> <p>3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार –</p> <p>“1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवृत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ख) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।”</p> <p>4. कलेक्टर के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ख) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित संभागीय आयुक्त है । अतः उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर आयुक्त सागर संभाग सागर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा ।</p>	

Signature

Signature

5. अतः उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण आयुक्त सागर संभाग सागर को अंतरित किया जाता है। आवेदक दिनांक 18-03-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय में प्रस्तुत हो।
6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय में भेज जाये।
7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये।


(आर.के. जैन) 10.1.19
सदस्य